

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0/BSPTCL-03/2017
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सुपौल जिला के राघोपुर प्रखण्ड में एक नये 3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 68.43 करोड़ (अड़सठ करोड़ तैंतालीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि की 20% अर्थात् 13.69 करोड़ रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 54.74 करोड़ रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 13.69 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

राज्य में बढ़ते हुए विद्युत मांग की पूर्ति हेतु संचरण लाइनों एवं ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। वर्तमान में सुपौल जिला के राघोपुर प्रखण्ड क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति (2x50+1x20) एम०भी०ए० ग्रिड उपकेन्द्र कटैया से की जाती है, जो बढ़े हुए मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। फलस्वरूप, इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाती है। साथ ही लाईन की लम्बाई अधिक होने के कारण अधिक लाईन लॉस (Line loss) होता है और लो भोल्टेज (Low Voltage) की समस्या बनी रहती है। यदा-कदा ब्रेक-डाउन भी होते रहते हैं। अतः इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने के लिए सुपौल जिले के राघोपुर प्रखण्ड में 3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाले 132/33 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र की स्थापना आवश्यक है। साथ ही इस नये ग्रिड उपकेन्द्र के समीप प्रस्तावित औद्योगिक कारखानों में भी विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है।

2. उक्त प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र तथा इससे सम्बद्ध संचरण लाइनों के निर्माण हेतु परियोजना की प्राक्कलित राशि 68.43 करोड़ रुपये है। कुल राशि की 20% अर्थात् 13.69 करोड़ रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 54.74 करोड़ रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया जाना है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सुपौल जिला के राघोपुर प्रखण्ड में एक नये 3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 68.43 करोड़ (अड़सठ करोड़ तैंतालीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि की 20% अर्थात् 13.69 करोड़ रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 54.74 करोड़ रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 13.69 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, मांग सं०-10, विपत्र कोड- 10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।
6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-04/2016 के पृष्ठ संख्या-7/टि० पर दिनांक-18.07.2017 को प्राप्त है।
9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-03/2017 पृष्ठ संख्या-10/टि० पर दिनांक-24.07.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-03/2017 /पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह०/-
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-03/2017 2404 /पटना, दिनांक- 28/07/2017
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान
सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा
पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा
विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध
निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर
ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन
कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।